न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 465 सन 2022

अनवान :–

1. कश्मीरसिह पुत्र काकासिह जाति बाजीगर निवासी बिरकाली हाल बरमसर तहसील रानिया जिला सिरसा।

वादी

बनाम

1. लाडो बाई पत्नी काकासिह जाति बाजीगर निवासी बिरकाली हाल निवासी बालासर तहसील रानिया जिला सिरसा
2. जगसीरसिह पुत्र काकासिह जाति बाजीगर निवासी बिरकाली हाल निवासी बालासर तहसील रानिया जिला सिरसा
3. जसवीरसिह पुत्र काकासिह जाति बाजीगर निवासी बिरकाली हाल निवासी बालासर तहसील रानिया जिला सिरसा
4. शिमला पुत्री काकासिह जाति बाजीगर निवासी बिरकाली हाल निवासी बालासर तहसील रानिया जिला सिरसा
5. मलकीतो पुत्री काकासिह जाति बाजीगर निवासी बिरकाली हाल निवासी बालासर तहसील रानिया जिला सिरसा
6. बुधराम पुत्र प्रेमचन्द जाति बाजीगर निवासी बिरकाली हाल निवासी बालासर तहसील रानिया जिला सिरसा
7. बुटासिह पुत्र प्रेमचन्द जाति बाजीगर निवासी बिरकाली हाल निवासी बालासर तहसील रानिया जिला सिरसा
8. करतारो बाई पुत्री प्रेमचन्द जाति बाजीगर निवासी बिरकाली हाल निवासी बालासर तहसील रानिया जिला सिरसा
9. अमरजीत कौर पुत्री प्रेमचन्द जाति बाजीगर निवासी बिरकाली हाल निवासी बालासर तहसील रानिया जिला सिरसा
10. साहबराम पुत्र खजानचन्द जाति बाजीगर निवासी बिरकाली हाल निवासी बालासर तहसील रानिया जिला सिरसा
11. तारासिह पुत्र खजानचन्द जाति बाजीगर निवासी बिरकाली हाल निवासी बालासर तहसील रानिया जिला सिरसा
12. जीता पुत्र खजानचन्द जाति बाजीगर निवासी बिरकाली हाल निवासी बालासर तहसील रानिया जिला सिरसा
13. मुख्त्यार कौर पुत्री खजानचन्द जाति बाजीगर निवासी बिरकाली हाल निवासी बालासर तहसील रानिया जिला सिरसा
14. गुलाबाई पुत्री खजानचन्द जाति बाजीगर निवासी बिरकाली हाल निवासी बालासर तहसील रानिया जिला सिरसा
15. महेन्द्र कोर पुत्री खजानचन्द जाति बाजीगर निवासी बिरकाली हाल निवासी बालासर तहसील रानिया जिला सिरसा
16. प्रीतो पुत्री खजानचन्द जाति बाजीगर निवासी बिरकाली हाल निवासी बालासर तहसील रानिया जिला सिरसा
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री कुलदीप खुडिया अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 06/07/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 158 / 151 की कुल 6.0720हैक जिसमें काकासिह पुत्र खजानचन्द का 37 / 600 हिस्सा , खजानचन्द पुत्र गरुबक्शसिह का 3 / 16 हिस्सा , प्रेमचन्द पुत्र खजानचन्द का 37 / 600 हिस्सा एव रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 84 / 73 की कुल 5.7180हैक जिसमें खजानचन्द का 1 / 2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में काकासिह पुत्र खजानचन्द , खजानचन्द पुत्र गुरवक्शसिह, प्रेमचन्द पुत्र खजानचन्द के नाम से दर्ज है जो वादी के पूर्वज है काकासिह पुत्र खजानचन्द , खजानचन्द पुत्र गुरवक्शसिह, प्रेमचन्द पुत्र खजानचन्द का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 है जो काकासिह

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
(हनुमानगढ)

Scanned by Scanner Go

पुत्र ख...
विरासतन से अपने हक हिस्सा ...

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता है प्रतिवादी ... जो वादी की बहने ... काकासिह की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 8 ,9 जो वादी की बहने एवं खजानचन्द की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 13 ता 16 वादी की बहने एवं खजानचन्द की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 2 3 ,6 ,7 ,10 ता 12 के ता 16 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 3 ,6 ,7 ,10 ता 12 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 3 ,6 ,7 ,10 ता 12 के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की काकासिह पुत्र खजानचन्द , खजानचन्द पुत्र गुरवक्शसिह, प्रेमचन्द पुत्र खजानचन्द जो वादी के पूर्वज है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 3 ,6 ,7 ,10 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में काकासिह पुत्र खजानचन्द , खजानचन्द पुत्र गुरवक्शसिह, प्रेमचन्द पुत्र खजानचन्द के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है काकासिह पुत्र खजानचन्द , खजानचन्द पुत्र गुरवक्शसिह, प्रेमचन्द पुत्र खजानचन्द के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 है जो वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,5 , 8, 9 ,13 ता 16 ने निवेदन किया की ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,6 ,7 ,10 ता 12 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,6 ,7 ,10 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,6 ,7 ,10 ता 12के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 17 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 158 / 151 की कुल 6.0720हैक्‍ जिसमें काकासिह पुत्र खजानचन्द का 37 / 600 हिस्सा , खजानचन्द पुत्र गरुबक्शसिह का 3 / 16 हिस्सा , प्रेमचन्द पुत्र खजानचन्द का 37 / 600 हिस्सा एव रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 84 / 73 की कुल 5.7180हैक्‍ जिसमें खजानचन्द का 1 / 2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में काकासिह पुत्र खजानचन्द , खजानचन्द पुत्र गुरवक्शसिह, प्रेमचन्द पुत्र खजानचन्द के नाम से दर्ज है जो वादी के पूर्वज है काकासिह पुत्र खजानचन्द , खजानचन्द पुत्र गुरवक्शसिह, प्रेमचन्द पुत्र खजानचन्द का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 है जो काकासिह पुत्र खजानचन्द , खजानचन्द पुत्र गुरवक्शसिह, प्रेमचन्द पुत्र खजानचन्द के नाम से दर्ज भूमि को विरास्तन से अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता है प्रतिवादी संख्या 4 ,5 जो वादी की बहने एव काकासिह की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 8 ,9 जो वादी की बहने एवं प्रेमचन्द की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 13 ता 16 वादी की बहने एवं खजानचन्द की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,5 ,8 ,9 ,13 ता 16 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 3 ,6 ,7 ,10 ता 12 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 3 ,6 ,7 ,10 ता 12 के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

Scanned by Scanner Go

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 158/151 की कुल 6.0720हैक जिसमें काकासिह पुत्र खजानचन्द का 37/600 हिस्सा , खजानचन्द पुत्र गुरुबक्शसिह का 3/16 हिस्सा , प्रेमचन्द पुत्र खजानचन्द का 37/600 हिस्सा एव रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 84/73 की कुल 5.7180हैक जिसमें खजानचन्द का 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि काकासिह पुत्र खजानचन्द , खजानचन्द पुत्र गुरवक्शसिह, प्रेमचन्द पुत्र खजानचन्द के नाम से दर्ज है जो वादी के पूर्वज है काकासिह पुत्र खजानचन्द , खजानचन्द पुत्र गुरवक्शसिह, प्रेमचन्द पुत्र खजानचन्द का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 है जो वाद भूमि अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,5 ,8 ,9 ,13 ता 16 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,5 ,8 ,9 ,13 ता 16 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 3 ,6 ,7 ,10 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,5 ,8 ,9 ,13 ता 16 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 158/151 की कुल 6.0720हैक भूमि में मृतक काकासिह के नाम दर्ज 37/600 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब के मृतक प्रेमचन्द के नाम दर्ज 37/600 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 6 ,7 बहिब के एव मृतक खजानचन्द के नाम दर्ज 3/16 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब 3/80 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 6 ,7 बहिब 3/80 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 प्रत्येक 3/80 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसीप्रकार खाता संख्या 84/73 की कुल 5.7180हैक में मृतक खजानचन्द के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 , 3 बहिब 1/10 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 6,7 बहिब 1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 प्रत्येक 1/10 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 06/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned by Scanner Go

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. कश्मीरसिंह पुत्र काकासिंह जाति बाजीगर निवासी बिरकाली हाल बालासर तहसील रानिया जिला सिरसा।

वादी

बनाम

1. लाडो बाई पत्नी काकासिंह जाति बाजीगर निवासी बिरकाली हाल निवासी बालासर तहसील रानिया जिला सिरसा
2. जगसीरसिंह पुत्र काकासिंह जाति बाजीगर निवासी बिरकाली हाल निवासी बालासर तहसील रानिया जिला सिरसा
3. जसवीरसिंह पुत्र काकासिंह जाति बाजीगर निवासी बिरकाली हाल निवासी बालासर तहसील रानिया जिला सिरसा
4. शिमला पुत्री काकासिंह जाति बाजीगर निवासी बिरकाली हाल निवासी बालासर तहसील रानिया जिला सिरसा
5. मलकीतो पुत्री काकासिंह जाति बाजीगर निवासी बिरकाली हाल निवासी बालासर तहसील रानिया जिला सिरसा
6. बुधराम पुत्र प्रेमचन्द जाति बाजीगर निवासी बिरकाली हाल निवासी बालासर तहसील रानिया जिला सिरसा
7. बुटासिंह पुत्र प्रेमचन्द जाति बाजीगर निवासी बिरकाली हाल निवासी बालासर तहसील रानिया जिला सिरसा
8. करतारो बाई पुत्री प्रेमचन्द जाति बाजीगर निवासी बिरकाली हाल निवासी बालासर तहसील रानिया जिला सिरसा
9. अमरजीत कौर पुत्री प्रेमचन्द जाति बाजीगर निवासी बिरकाली हाल निवासी बालासर तहसील रानिया जिला सिरसा
10. साहबराम पुत्र खजानचन्द जाति बाजीगर निवासी बिरकाली हाल निवासी बालासर तहसील रानिया जिला सिरसा
11. तारासिंह पुत्र खजानचन्द जाति बाजीगर निवासी बिरकाली हाल निवासी बालासर तहसील रानिया जिला सिरसा
12. जीता पुत्र खजानचन्द जाति बाजीगर निवासी बिरकाली हाल निवासी बालासर तहसील रानिया जिला सिरसा
13. मुख्त्यार कौर पुत्री खजानचन्द जाति बाजीगर निवासी बिरकाली हाल निवासी बालासर तहसील रानिया जिला सिरसा
14. गुलाबाई पुत्री खजानचन्द जाति बाजीगर निवासी बिरकाली हाल निवासी बालासर तहसील रानिया जिला सिरसा
15. महेन्द्र कोर पुत्री खजानचन्द जाति बाजीगर निवासी बिरकाली हाल निवासी बालासर तहसील रानिया जिला सिरसा
16. प्रीतो पुत्री खजानचन्द जाति बाजीगर निवासी बिरकाली हाल निवासी बालासर तहसील रानिया जिला सिरसा
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 465 सन 2022 निर्णय दिनांक– 06/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 158/151 की कुल 6.0720हैक भूमि में मृतक काकासिह के नाम दर्ज 37/600 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब के मृतक प्रेमचन्द के नाम दर्ज 37/600 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 6 ,7 बहिब के एव मृतक खजानचन्द के नाम दर्ज 3/16 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब 3/80 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 6 ,7 बहिब 3/80 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 प्रत्येक 3/80 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसीप्रकार खाता संख्या 84/73 की कुल 5.7180हैक में मृतक खजानचन्द के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3 बहिब 1/10 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 6,7 बहिब 1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 प्रत्येक 1/10 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/7/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned by Scanner Go